

सीएम गहलोत देंगे हर राज्य कर्मचारियों को घर की सौगात

राज्य के 11 शहरों में एक साथ आएगी 17 आवासीय योजनाएं

■ जलतेदीप विसं, जयपुर

राज्य के मुख्यमंत्री जल्द ही राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत आने वाले दिनों में राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना की सौगात देने जा रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जयपुर के प्रतापनगर में बनेंगे 2 व 3 बीएचके साइज के 624 फ्लैट्स मंडल द्वारा बनाए जाएंगे इसके साथ ही प्रदेश के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं एक साथ लांच की जाएंगी।

■ जयपुर के प्रताप नगर में बनेंगे 2 व 3 बीएचके साइज के 624 फ्लैट्स

■ मंडल द्वारा प्रदेश के 11 शहरों में लॉच की जाएंगी 17 आवासीय योजनाएं

■ इन आवासीय योजनाओं में सभी श्रेणी के कुल 11 हजार 250 आवास होंगे उपलब्ध

■ आवासन मंडल के इतिहास में पहली बार होंगी इतनी योजनाएं एक साथ लॉच

पहली बार बनेगा इतिहास

अरोड़ा ने बताया कि ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब आवासन मंडल एक साथ 17 आवासीय योजनाओं की लांचिंग करेगा। अरोड़ा ने बताया कि इन सभी योजनाओं में सभी श्रेणी के कुल 11 हजार 250 आवास बनाए जाएंगे। इन योजनाओं की लांचिंग एक माह के अंदर मुख्यमंत्री के स्तर पर कलाई जायेगी। राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष के इतिहास में इतनी योजनाएं एक साथ कभी भी लांच नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा आगामी बोर्ड बैठक में इन योजनाओं को अनुमोदन करवाकर शीघ्र लांच किया जाएगा। इन आवासीय योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को उचित कीमत पर आवास उपलब्ध हो सकेगा।

इन स्थानों पर आएगी योजनाएं

जयपुर के प्रतापनगर, सिरौली, वाटिका, महला, शाहपुर, उदयपुर के दक्षिण विस्तार व देवारी, श्रीगंगानगर के सूस्तगढ़, टोंक के निवाई, सिरौली के आकरोड़ा, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़ और डूंगरपुर व बांसवाड़ा में योजनाएं लांच की जाएंगी।

यह होंगे दाम

आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि इन आवासीय योजनाएं इस योजना में 10 लाख 90 हजार रुपये में 632 वर्गफीट में निर्मित 1 बीएचके फ्लैट, 15 लाख 70 हजार रुपये में 882 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित 2 बीएचके फ्लैट और 21 लाख रुपये में 1097 वर्ग फीट में निर्मित 3 बीएचके फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस वर्ग को मिलेगा लाभ

इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब व उच्च आय वर्ग के लिए कुल 11 हजार 250 आवास उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

10 प्रतिशत में मिलेगा गृह प्रवेश

इन आवास योजनाओं में कुल राशि की केवल 10 प्रतिशत राशि देते ही गृह प्रवेश मिल जाएगा साथ ही सबसे विशेष बात इन योजनाओं की यह होगी कि इन आवासीय योजनाओं में की राशि की किश्तों पर नहीं लगेगा जीएसटी नहीं लगेगा। अरोड़ा ने बताया कि 10 प्रतिशत दीर्घिये गृह प्रवेश कीर्जिये योजना में किश्तों पर जीएसटी लगने के संबंध में भ्रम की स्थिति थी। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में जीएसटी विशेषज्ञों से चर्चा कर ली गई है, यह चूंकि पूर्ण निर्मित मकान है इसलिये जीएसटी न तो किश्तों पर और न ही ईएमडी पर लगेगा, अब यह मकान आमजन को और भी सस्ते उपलब्ध होंगे।